न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान शुभकरण सहारण बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 84 / 2025
निर्णय दिनांक 12.1.2025

शुभकरण सहारण पुत्र मालू राम सहारण जाति जाट निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटी</u>
<u>एक्ट व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र सिंह तंवर– एडवोकेट वादी।
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार तारानगर– राजस्थान सरकार।

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 154 खसरा सं. 137 तादादी 4.8557 हैक्ट, खसरा नं. 154 तादादी 2. 1117 हैक्ट. ख.नं. 286 तादादी 1.9220 हैक्ट., खसरा सं. 299 तादादी 10.6218 हैक्ट, खसरा सं. 403 तादादी 5.4879 हैक्ट कुल तादादी 24.9991 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की वर्तमान राजस्व जमावंदी में भूलवश वादी के पिता का नाम मालू राम सहारण की जगह मलुराम दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी के आधार कार्ड में पिता का नाम मालू राम सहारण है। वादी का नाम जमावंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। अब वादी जमावन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा हूं कि कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 154 खसरा सं. 137 तादादी 4.8557 हैक्ट, खसरा नं. 154 तादादी 2.1117 हैक्ट. ख.नं. 286 तादादी 1.9220 हैक्ट., खसरा सं. 299 तादादी 10.6218 हैक्ट, खसरा सं. 403 तादादी 5.4879 हैक्ट कुल तादादी 24.9991 हैक्ट. में वादी के पिता का नाम पुत्र मालू राम सहारण किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई।
तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने वादी के पिता
का नाम मालू राम सहारण व मलुराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने
जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद
पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का
अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम मालू राम सहारण पाया
जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज
आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम मालू राम सहारण पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता
का नाम मलुराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार
किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर खाता संख्या
154 खसरा सं. 137 तादादी 4.8557 हैक्ट, खसरा नं. 154 तादादी 2.1117 हैक्ट. ख.नं. 286 तादादी 1.
9220 हैक्ट., खसरा सं. 299 तादादी 10.6218 हैक्ट, खसरा सं. 403 तादादी 5.4879 हैक्ट कुल तादादी
24.9991 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम मलुराम **Delete** कर इसके स्थान पर
<u>मालू राम सहारण</u> अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड
यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को
राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)